

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ**

प्रथम अपील संख्या- 214/2025

अंकित मिश्रा

.....

अपीलकर्ता

बनाम

पूनम तिवारी

.....

प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: चंद्र भूषण पांडे, मोहित अशोक, पंकज तिवारी,
तृप्ति

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अरुंधति ठाकुर

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय,

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय,

1. सुना गया।

2. यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत वाद संख्या 455/2022 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.11.2025 को चुनौती देने वाली प्रथम अपील है।

3. अपील लंबित रहने के दौरान, पक्षों के बीच समझौता हो गया है। मूल समझौता पत्रावली में है। यह दिनांक 10.02.2026 का है। हमारे आदेश दिनांक 10.02.2026 के अनुसरण में, समझौते का सत्यापन इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक द्वारा लखनऊ में दिनांक 10.03.2026 को किया गया है। समझौता इस प्रकार है:-

"समझौता पत्र

यह समझौता आज अर्थात् 10.02.2026 को अंकित मिश्रा, पुत्र श्री अविनाश चंद्र मिश्रा, निवासी ग्राम रानीवां कर्माजीत, पोस्ट रानीवां,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परगना मिझौदा, तहसील भीती, जिला अंबेडकर नगर (जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) और पूनम तिवारी, पुत्री श्री जगदीश तिवारी, निवासी ग्राम अहीरी फिरोजपुर, पोस्ट पौधन रामपुर, तहसील कादीपुर, परगना अलदेमऊ, जिला सुल्तानपुर (जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के बीच किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वैवाहिक समस्या के दौरान प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच गलतफहमी और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस मतभेद और गलतफहमी के परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष पिछले चार वर्षों से अलग रह रहे हैं। फलस्वरूप, एक नियमित वाद दायर किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत याचिका संख्या 455/2022, कंप्यूटरीकृत संख्या 361/2022 प्रथम पक्ष द्वारा माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिला अंबेडकर नगर के समक्ष दायर की गई थी, जिसे दिनांक 07.11.2025 के निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, प्रथम पक्ष ने प्रथम अपील संख्या 214/2025 (अंकित मिश्रा बनाम पूनम तिवारी) के माध्यम से इस माननीय न्यायालय में अपील की है, जो विचाराधीन है।

इस बीच, दोनों परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद, वर्तमान समझौते के पक्षों ने अपने बीच के सभी विवादों को आपसी सहमति से हमेशा के लिए निपटाने का निर्णय लिया है। इसलिए, वे एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं:

समझौते की शर्तें

चूंकि, दोनों पक्षों की शादी से कोई संतान नहीं है और दोनों सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, अतः उनके सभी परस्पर विरोधी आरोपों को दरकिनार करते हुए, दोनों पक्षों के बीच यह पारस्परिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सहमति हुई है कि प्रथम पक्ष सोने के आभूषण, चांदी के गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर लौटाएगा और द्वितीय पक्ष को गुजारा भत्ता के रूप में अपनी सभी देनदारियों के पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में नकद राशि का भुगतान करेगा;

1. चूंकि, प्रथम पक्ष के पास तीन सोने की अंगूठियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रथम पक्ष उक्त वस्तुओं की लागत 3,30,000 रुपये के साथ 3,00,000 रुपये की नकद राशि द्वितीय पक्ष को भुगतान करेगा।

2. उपर्युक्त सहमत नकद राशि के अनुसरण में, प्रथम पक्ष बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से द्वितीय पक्ष को कुल 6,30,000 रुपये की नकद राशि का भुगतान करेगा। अब, प्रथम पक्ष समझौते के भुगतान के रूप में 6,30,000/- रुपये (छह लाख तीस हजार रुपये मात्र) की राशि प्रस्तुत कर रहा है। द्वितीय पक्ष इस भुगतान को स्वीकार करता है, जो भारतीय स्टेट बैंक, रायबरेली सिटी शाखा, कोड संख्या 11218 पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट संख्या 519227, दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है;

3. जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, प्रथम पक्ष सोने के आभूषणों और चांदी के गहनों की निम्नलिखित वस्तुओं को भी लौटाएगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सामान वापसी

आभूषण विवरण

पुरुष की वस्तुएं

अंगूठी- 06 (01 हीरे की अंगूठी सहित)

गले की चेन-01

कलाई घड़ी-01

महिला की वस्तुएं

अंगूठी-01

गले की चेन-01

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कान का झाला-01
नाक की कील-01
अन्य सामान
सोने की सलाई-01
चाँदी की तस्तरी-01
चाँदी का नारियल-01
चाँदी की मछली-01
चाँदी का पान-05
चाँदी की सुपारी-05

4. तदनुसार, उपर्युक्त वर्णित वस्तुएं प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस की जा रही हैं और द्वितीय पक्ष उक्त सोने के आभूषणों और चाँदी के आभूषणों की वापसी को स्वीकार करता है।

5. उपर्युक्त अनुसार नकद भुगतान और सोने के आभूषणों और चाँदी के आभूषणों की वापसी के बाद, दोनों पक्षों का एक-दूसरे के विरुद्ध कोई धन का दावा नहीं होगा;

6. इस समझौता ज्ञापन के बाद, दोनों पक्ष किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही, अर्थात् आपराधिक या दीवानी मामले, शुरू नहीं करेंगे।

7. इसके अलावा, पक्षकार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(बी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाक की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए सहारा लेंगे।

8. दोनों पक्ष एक-दूसरे के जीवन में, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समाज में एक-दूसरे के प्रति द्वेष फैलाए बिना सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने-अपने जीवन पथ का अनुसरण करेंगे।

9. इस समझौते/निपटान/निष्पादन की तिथि से आगे अपने जीवन में दोनों पक्षों की एक-दूसरे के प्रति कोई वित्तीय, आपराधिक या कानूनी देनदारी नहीं होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इसके अतिरिक्त, इस समझौते के दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और गलतफहमी से उत्पन्न अपने कड़वे अनुभवों को नजरअंदाज करने का वचन देते हैं।

इस समझौते पर दोनों पक्षों ने आज, अर्थात् 10.02.2026 को, अपने अधिवक्ताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं, जो समझौते के साक्षी हैं और पक्षों की तस्वीरों की पहचान करते हैं।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस अपील का निस्तारण समझौते की शर्तों के अनुसार करते हैं।

5. तदनुसार डिक्री जारी की जाए।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन राय)

18 मार्च, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।